


06/2021

राज्य न्यायाधीश
सरपंच
मान्य पंचायत जलवाहा
प. त. जलसी (जयपुर)

पट्टान सरपंच राम पंचायत जलवाहा के द्वारा
कि गई। वादी के द्वारा प्रथम पत्र जालत दिना
दिना 01/10/2021 को पत्र का पेश किया व इस प्रार्थना
पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश कर न्यायालय
कोर्ट में मौखिक निवेदन किया कि प्रकरण में हम
सब पक्षकारों के मध्य राजीनामा ही गया है अतः
इस वाद पत्र को जरूर खारिज किया जाने की
आदेश देने की कृपा करें। एवं उपस्थित पक्षकारों
के द्वारा सहमति पत्र पत्रावली पर हस्ताक्षर किये
गये। न्यायालय के द्वारा वाद पत्र एवं वाद पत्र पर
मौखिक हस्ताक्षर एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र का सावधानी पूर्वक अवलोकन किये जाने पर्याप्त
वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जालत दिना 01/10/2021
जाने को न्यायाधीश स्विकार किये जाने की आदेश
दिये गये हैं। एवं वादी का वाद जरूर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली जमल कुमार टोकर दर्ज

दर्ज नम्बर से कम होने पर वाकिल दफतर है।
निर्णय आज दिनांक 21/10/2021 को प्रशासन गाँव
के सत्रा अधिमान 2021 के तहत जलवाहा एवं
मजम आम में सुनाया गया।


उप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला-जयपुर)